

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी प्रकाश विपक्षी मोहन

किस्म मुकदमा वाफ पत्रावली संख्या 02/24 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
---------	-----------------	--

8/7/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पदावरान उप।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
ग्रमण/मीटिंग में प्यारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 25/8/25 को पेश हो।
DI
2

25/8/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पदावरान उप।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
ग्रमण/मीटिंग में प्यारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 27/10/25 को पेश हो।
DI
2

27/10/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवा न. 206, 14, 15
के लिये मौका चाहते है। अतः अतः 27/10/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 5/11/25
को पेश हो।
m
(SDO) मावली

05/11/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवा न. 206, 14, 15
के लिये मौका चाहते है। अतः अतः 05/11/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 05/11/25
को पेश हो।
m
(SDO) मावली

9/12/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवा न. 206, 14, 15
के लिये मौका चाहते है। अतः अतः 09/12/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 9/12/25
को पेश हो।
m
(SDO) मावली

9/3/26
वकुलाय वादी/प्रतियादी उप. नृत्य
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतः
अवसर दिया जाकर फत्रावली दि. 11/5/26
को पेश हो।

(SDO) मावली

11/5/26

पचावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी
मथ स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता
वादी मथ स्वयं वादी को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय साँथ
5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं
उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता वादी मथ स्वयं वादी
अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अहम
हाजिरी अहम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पचावली फैसल कुमार होकर नम्बर
से कम हों।

निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर